न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

मानाराम पुत्र लच्छाराम

जाति भील नि० रूपादेवी

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

मिसराराम, धूजाराम वगैरह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री मानाराम स्वंय वादी।

2. श्री मिसराराम प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक :– 11-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 290 रकबा 121-07 बीघा, सरहद मौजा रूपादेवी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम मोहन होने से राजस्व रेकर्ड में मोहन दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 974368771582 जन आधार कार्ड संख्या .... मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी/0663096 राशन कार्ड संख्या [illegible]685262 मानाराम [illegible] किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं [illegible] कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज मोहन के स्थान पर मानाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:44:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से इकबाली जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम मोहन के स्थान पर मानाराम दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 290 रकबा 121-07 बीघा, मस्जद मौजा रूपा देवी तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड़–प्यार का नाम मोहन दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत सम्मलीन एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम मोहन दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मानाराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 290 रकबा 121-07 बीघा, मस्जद मौजा रूपादेवी वाकयस्त आराजी में वादी का गलत नाम मोहन पुत्र खेमाराम के स्थान पर मानाराम पुत्र खेमाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 11-10-2021 को कोर्ट कैम्प कोर्ट दूधवा में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:44:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)

Scanned with CamScanner